राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 1543/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
अक्षत चतुर्वेदी 2] हिम्मत नगर] टोंक रोड], Jaipur ,Rajasthan		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जिला जयपुर पूर्व, गांधी सर्कल, Jaipur

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 05/04/2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रधुनाथ, कानि. उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 22-07-2017 के द्वारा एफआईआर नं. 522/2015 पुलिस थाना बजाज नगर, जयपुर पूर्व के संबंध में 7 बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 28-09-2017 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने बताया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 21-08-2017 से विनिश्चय से सूचित किया गया कि प्रकरण जैर अनुसंधान है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(एच) के तहत सूचना दिया जाना सम्भव नहीं है। प्रथम अपील पेश होने पर निर्णय दिनांक 27-09-2017 से अपील को खारिज किया गया है। द्वितीय अपील का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलार्थी को सभी बिन्दुओं के संबंध में अपीलोत्तर के साथ 12 पृष्ठ की सूचना प्रेषित की गई है। सूचना दिया जाना शेष नहीं होना बताया।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 12-03-2018 प्रस्तुत किया है जिसकी प्रति अपीलार्थी को प्रेषित की गई है। जिससे उक्त पैरा संख्या 5 में किये गये कथन की पुष्टि होती है। अपीलोत्तर के साथ पत्र दिनांक 21-08-2017, प्रथम अपील निर्णय व अपीलार्थी को प्रेषित किये गये 12 पृष्ठों का अभिलेख संलग्न किया गया है।

7. अपीलार्थी द्वारा कोई अन्यथा प्रतिक्रिया प्रस्तुत नहीं की गई है। अभिलेखानुसार सूचना प्रदत्त है। अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।

8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।

9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।

10. निर्णय घोषित।

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त